

Metrics No. 2.1.1

Document related to sanction of intake from affiliating University/ Government/statutory body

06184 222178

पत्रांक 15/एम ए 101/2013-14
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक, सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में, कुलसचिव,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक 28/5/2014

विषय:- वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में
व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सीटों की संख्या निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 108/Estab/14 दिनांक 11.03.14, पत्रांक 893/Estab/13 दिनांक 06.08.13, पत्रांक 892/Estab/13 दिनांक 06.08.12, पत्रांक 890/Estab/13 दिनांक 06.08.13, पत्रांक 891/Estab/13 दिनांक 06.08.13 एवं पत्रांक 33/Estab/14 दिनांक 03.02.14 के आलोक में वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय एवं उसके अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु सीटों की संख्या का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है -

क्र०	महाविद्यालय का नाम / विश्वविद्यालय का नाम	व्यवसायिक पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या
1	एच0डी0 जैन कॉलेज, आरा	बी0बी0ए0 बी0एस0सी0 (आई0टी0) बी0बी0आई बी0सी0ए0	90 60 10 60
2	डी0 के0 कॉलेज, दुमराँव	बी0बी0ए0 बी0सी0ए0	120 120
3	एम0बी0 कॉलेज, आरा	बी0बी0ए0	60
4	एस0पी0 जैन कॉलेज, सासाराम	बी0बी0ए0 बी0एस0सी0 (ऑनर्स) बायोटेक्नोलॉजी बी0सी0ए0	40 30 50
5	शेरशाह कॉलेज, सासाराम	बी0बी0ए0 बी0सी0ए0	60 120
6	एम0बी0 कॉलेज, बक्सर	बी0बी0ए0 बी0सी0ए0	60 30

Hindi Tester 2014

3

Metrics No. 2.1.1

Document related to sanction of intake from affiliating University/ Government/statutory body

7	जे०एल०एन० कॉलेज, डेहरी ऑन- सांन	बी०बी०ए० बी०सी०ए० बी०एस०सी० (ऑनर्स) बायोटेक्नोलॉजी	60 120 30
8	एस०एन० कॉलेज, शाहमल, खैरा देव	बी०बी०ए० बी०सी०ए०	60 60
9	आर०एस० कॉलेज, तिलौथु	बी०बी०ए० बी०सी०ए०	30 30
10	धौधरी वरण सिंह कॉलेज, राजपुर	बी०बी०ए० बी०सी०ए०	60 60
11	एल०बी०टी० कॉलेज, बक्सर	बी०बी०ए० बी०सी०ए०	60 60
12	एस०भी०पी० कॉलेज, भमुआँ	बी०सी०ए० बी०एस०सी० (ऑनर्स) बायोटेक्नोलॉजी	60 40
13	महाराजा कॉलेज, आरा	बी०सी०ए०	120
14	जी०बी० कॉलेज, रामगढ़	बी०सी०ए०	60
15	ए०एस० कॉलेज, बिक्रमगंज	बी०सी०ए०	40
16	एम०एम० महिला कॉलेज, आरा	बी०सी०ए०	30
17	वीर क्वंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	पी०एम०आई०आर	30

उपर दर्जित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सीटों के सञ्चय के निर्धारण पर स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जा रही है -

- व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालन हेतु किसी भी प्रकार के शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मियों के पद का सृजन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। उपलब्ध शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों से ही शैक्षणिक कार्य कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालन में किसी प्रकार के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार नहीं करेगी।
- बिहार आरक्षण अधिनियम 2004 में अंकित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण में गुणवत्ता बनाये रखना विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों का दायित्व होगा।
- राज्यपाल सचिवालय द्वारा निगंत ऑडिनेस एवं शर्तों के अधीन ही व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित होंगे।

विश्वासभाजन,
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव



वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

17

पत्रांक:-.....

दिनांक:-.....

प्रधानाचार्य,

अंजबित सिंह कॉलेज,
विक्रमगंज, रोहतास।

विषय:- स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी० सी० ए० डिग्री कोर्स के अनुमति के संबंध में।


महाशय,

विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा आपके महाविद्यालय में चल रहे बी० सी० ए० डिग्री कोर्स स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के निरीक्षणोपरान्त एवं राजभवन सचिवालय से पूर्व में प्राप्त अनुमति के आलोक में सत्र 2010-11 से संपर्युक्त पाठ्यक्रम की अनुमति दी जाती है। इसके लिए निर्धारित Inspection एवं Processing fee विश्वविद्यालय Self Financing Fund में Draft या Cheque के माध्यम से जमा हो चुका है।

विश्वासभाजन

अध्यक्ष, छात्र-कल्याण

पत्र में वर्णित स्ववित्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी पाठ्यक्रम में, बिना विश्वविद्यालय के अनुमति के नामांकन न लें। अनुमति के बिना किसी पाठ्यक्रम में नामांकन अवैध है। इसके लिए प्रधानाचार्य/समन्वयक स्वयं जिम्मेवार होंगे।


अध्यक्ष, छात्र-कल्याण

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा



वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

अधिसूचना

दिनांक 18.09.2019 को सम्पन्न हुए विद्वत परिषद् की बैठक के मद संख्या (6) में लिए गए निर्णय के आलोक में ए० एस० कॉलेज, बिक्रमगंज अंतर्गत संचालित B.C.A. में पूर्व से निर्धारित सीट में वृद्धि करते हुए 40 के स्थान पर 60 किया जाता है।

कुलपति के आदेशानुसार

ह०/-

कुलसचिव

ज्ञापांक - 2821/Est/19

दिनांक - 14/10/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. प्रधानाचार्य, ए०एस० कॉलेज, बिक्रमगंज।
2. अध्यक्ष छात्र कल्याण, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
3. परीक्षा नियंत्रक, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
4. कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव का कार्यालय, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

BCA. Coord.
Date
15/10/2019

203/19
15.10.19

14/10/19.

कुलसचिव

डॉ. पति

10/10/19